IX भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अधिक अपनाने का उद्देश्य प्रयोक्ताओं में परिचालनों की सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के साथ-साथ गति, कुशलता और सुरक्षा प्रदान करना है। देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने और नकदी का इस्तेमाल कम करने वाला समाज बनाने के अपने विज़न के अनुसार रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने और भुगतान प्रणाली के जोखिम यदि कोई हो, को समाप्त करने संबंधी नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए निरतंर प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, इन प्रयासों में स्वेत लेबल एटीएम की शुरुआत, बैंक से असंबद्ध लोगों के लिए कार्ड रहित नकदी आहरण सुविधा, नई पीढ़ी आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत और भारी मात्रा और कुशलता के लिए एनईएफटी प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करना शामिल हैं। वर्ष के दौरान पेपर चेक के स्थान पर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देना जारी रखा।

IX.1 वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए प्रयासों के चलते विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अतंर्गत भारी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए गए हैं (सारणी IX.1)। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने के

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली के संकेतक - कुल वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन में)			मूल्य (₹ बिलियन में)		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआइएफएमआइ)						
1. आरटीजीएस	55.0	68.5	81.1	539,307.5	676,841.0	734,252.4
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2+3+4)	**1.9**	**2.3**	**2.6**	**406,071.2**	**501,598.5**	**621,569.6**
2. सीबीएलओ	0.1	0.2	0.2	111,554.3	120,480.4	175,261.9
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.4	0.7	0.9	72,520.8	119,948.0	161,848.2
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.3	1.4	1.5	221,996.1	261,170.1	284,459.5
कुल एसआइएफएमआइ (1-4)	**56.9**	**70.8**	**83.7**	**945,378.7**	**1,178,439.5**	**1,355,822.0**
खुदरा भुगतान						
कुल कागज़ी समाशोधन (5+6+7)	**1,341.9**	**1,313.7**	**1,254.0**	**99,012.1**	**100,181.8**	**9,3014.8**
5. चेक ट्रंकेशन प्रणाली	180.0	275.0	589.3	15,103.7	21,779.5	44,203.1
6. माइकर समाशोधन	934.9	823.3	439.0	65,093.2	57,504.0	31,129.8
7. गैर-माइकर समाशोधन	227.0	215.3	225.7	18,815.1	20,898.3	17,681.8
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	**512.5**	**694.1**	**1,108.3**	**20,575.3**	**31,881.1**	**47,856.3**
8. ईसीएस नामे	164.7	176.5	192.9	833.6	1,083.1	1,268.0
9. ईसीएस जमा	121.5	122.2	152.5	1,837.8	1,771.3	2,492.2
10. ईएफटी/एनईएफटी	226.1	394.1	661.0	17,903.5	29,022.4	43,785.5
11. त्वरित भुगतान सेवा (आइएमपीएस)	0.1	1.2	15.4	0.4	4.3	95.8
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	-	-	86.5	-	-	214.8
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**678.1**	**931.7**	**1,262.1**	**1,562.5**	**2,051.5**	**2,576.3**
13. क्रेडिट कार्ड	320.0	396.6	509.1	966.1	1229.5	1539.9
14. डेबिट कार्ड	327.5	469.1	619.1	534.3	743.4	954.1
15. पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआइ)	30.6	66.1	133.9	62.0	78.7	82.4
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15 तक)	**2,532.4**	**2,939.5**	**3,624.4**	**121,149.9**	**134,114.4**	**143,447.4**
कुल जोड़ (1 से 15)	**2,589.3**	**3,010.2**	**3,708.0**	**1,066,528.5**	**1,312,554.0**	**1,499,269.4**

: - लागू नहीं

नोट : 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) में मात्र ग्राहक और अंतरबैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से किया जाता है।
3. 27 चुबंकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर) चेक संसाधन केंद्रों (सीपीसी) और 67 गैर-माइकर सीपीसी स्थानों; 20 माइकर सीपीसी और 3 गैर-माइकर सीपीसी स्थानों; 21 माइकर सीपीसी और 1 गैर माइकर सीपीसी स्थानों से बैंक क्रमशः सीटीएस चेन्नै, मुबंई और नई दिल्ली ग्रिड में भाग लेते हैं। कुल चेक की मात्रा का अनेक सीपीसी स्थानों पर सीटीएस को अपनाने से देश में माइकर सीपीसी की कुल संख्या (21 मई 2014 की स्थिति के अनुसार) 66 से घटकर 19 रह गई है।
4. कार्ड के आंकड़े सिर्फ बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) पर किए गए लेनदेनों से संबंधित हैं।
5. एनएसीएच प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा (29 दिसंबर 2012 में) शुरू की गई थी ताकि अंतरबैंक, बड़ी मात्रा वाले, इलेक्ट्रानिक लेनदन जो दोहराने योग्य और आवधिक स्वरूप के हैं, के लिए सुविधाजनक हो सके।
6. हो सकता है कि संख्या का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े मेल न खाते हो।

साथ-साथ अन्य गैर-नकदी भुगतान माध्यमों की तुलना में पेपर आधारित समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत संसाधित लेनदेनों की मात्रा में कमी होना जारी है। कुल मिलाकर, 2013-14 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली में मात्रा की दृष्टि से 23.2 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भुगतान प्रणालियों की प्रवृत्तियां

पेपर समाशोधन

IX.2 पेपर समाशोधन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अनुकूल प्रभाव देखा गया जिससे मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से पेपर आधारित लेनदेनों में कमी आई। 2013-14 के दौरान मात्रा की दृष्टि से पेपर आधारित लेनदेन का हिस्सा कुल गैर-नकदी लेनदेनों में 34.6 प्रतिशत (2012-13 के दौरान 43.4 प्रतिशत) रहा। मूल्य की दृष्टि से भी पेपर आधारित लेनदेनों का हिस्सा (2012-13 में 7.6 प्रतिशत) घटकर 6.3 प्रतिशत रह गया।

IX.3 मौजूदा समय में, चेक समाशोधन प्रणाली में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं : (i) चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली में ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली[1] (ii) 19 बड़े केंद्रों पर स्थित माइकर सीपीसी, और (iii) 1,339 छोटे केंद्रों पर स्थित एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस)। ग्रिड-सीटीएस समाशोधन प्रणाली अपने ग्रिड क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय चेक के रूप में बैंक की शाखाओं के नाम पर आहरित सभी चेकों के समाशोधन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें त्वरित समाशोधन प्रभार/बाहरी चेकों को स्वीकार करने से संबंधित प्रभार इत्यादि नहीं देने होते हैं। मई 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रिड सीटीएस की शुरुआत होने से 47 माइकर केंद्रों के सभी लेनदेनों को ग्रिड केंद्रों के जरिए किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त के चलते ही उन्हें बंद किया जा सका। ईसीसीएस एप्लीकेशन का प्रयोग पैकेज कम मात्रा वाले लेनदेनों वाले केंद्रों पर किया गया और उन केंद्र पर ही प्रतिभागी बैंक के लिए 'स्थानीय' स्तर पर समाशोधन की सुविधा भी प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.4 2013-14 के दौरान आरटीजीएस के अंतर्गत ₹734 ट्रिलियन मूल्य के लगभग 81 मिलियन लेनदेन किए गए। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार आरटीजीएस सुविधा युक्त बैंक शाखाओं की संख्या 109,506 दर्ज की गई।

IX.5 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा 158 बैंकों की 111,619 शाखाओं में उपलब्ध कराईं गई। 2013-14 के दौरान ₹44 ट्रिलियन मूल्य के लगभग 661 मिलियन लेनदेन किए गए। मार्च 2014 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा के तहत सबसे अधिक मात्रा में 82.8 मिलियन लेनदेन किए गए।

IX.6 2013-14 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) नामे के तहत लगभग ₹1,268 बिलियन मूल्य के 193 मिलियन लेनदेन किए गए और ईसीएस जमा के तहत लगभग ₹2,493 बिलियन मूल्य के 152 मिलियन लेनदेन किए गए। क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) प्रणाली का क्रमशः विस्तार होने के कारण अनेक ईसीएस केंद्रों के लेनदेन की मात्रा आरईसीएस केंद्रों में पूरी तरह शामिल हो गई। अब अनेक केंद्रों पर 12 आरईसीएस और मुंबई में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के अतिरिक्त ईसीएस केंद्रों की संख्या 34 है।

IX.7 2013-14 के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए ₹1,539 बिलियन मूल्य के 509 मिलियन लेनदेन किए गए, वहीं डेबिट कार्ड के जरिए ₹954 बिलियन मूल्य के 619 मिलियन लेनदेन किए गए।

IX.8 वर्ष के दौरान मोबाईल बैंकिंग सेवा के अंतर्गत ₹60 बिलियन मूल्य के 95 मिलियन लेनदेन किए गए।

व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए)

IX.9 बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं को टियर III से टियर VI के सभी केंद्रों पर आटोमेटेड टेलर मशीन लगाने और उनका संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। 18 आवेदन करने वाली संस्थाओं में से

[1] इमेज आधारित समाशोधन

12 संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसमें से 6 संस्थाओं को अंतिम रूप से एटीएम स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 1,960 व्हाइट लेबल एटीएम खोले गए।

भुगतान प्रणाली के लिए प्राधिकार देना

IX.10 2013-14 के दौरान 17 नई संस्थाएं जुड़ जाने से प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की संख्या बढ़कर 58 हो गई, जिसमें पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता, सीमापार मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, डब्ल्यूएलए परिचालक, एटीएम नेटवर्क और सीसीआइएल और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) के अतिरिक्त कार्ड भुगतान नेटवर्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 8 अन्य संस्थाओं को पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआइ) जारी और संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष के दौरान पीपीआई जारी करने वाले 3 भुगतान प्रणाली परिचालकों को 'बंद करने की प्रक्रिया' के तहत रखा गया। मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत सीमापार इन-बाउंड विप्रेषण सेवा प्रदान करने वाली एक ओवरसीज़ संस्था के परिचालनों में दिशा-निर्देशों न पालन करने के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 27X7 तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) का संचालन करने वाले एनपीसीआइ को बहुविध निपटान सत्रों की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की गई है। कार्ड रहित नगदी आहरण प्रणाली की स्थापना करने के लिए सिद्धांतः अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है (बॉक्स IX.1)।

नीतिगत पहलें

चेक समाशोधन प्रणाली: जांच और निगरानी

IX.11 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने निपटान उद्देश्य के लिए सबसे पहले सभी समाशोधन गृहों को स्वचालित किया और फिर बाहरी चेकों को त्वरित समाशोधन के तहत स्थानीय रूप में संसाधित करने के लिए बैंकों के सीबीएस का उपयोग किया। बाद में, चेक समाशोधन की कुशलता बढ़ाने के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीटीएस) और ग्रिड-आधारित सीटीएस प्रणाली की शुरुआत की गई। तथापि, कई वर्षों के बाद भी गैर-सीटीएस 2010 मानक वाले चेक सीटीएस ग्रिड में आना जारी रहे जिससे जोखिम बना रहा। इसलिए संचलन में मौजूद गैर मानक वाली चेकों के लिए कम अंतराल पर अलग समाशोधन की प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 2014 से 3 ग्रिड

बाक्स IX.1
बैंक सुविधा से वंचित लोगों के लिए कार्ड रहित नकदी आहरण सुविधा

वर्ष के दौरान 2 संस्थाओं को भारत में ऐसी भुगतान प्रणाली शुरू करने की 'सैद्धांतिक मंजूरीट प्रदान की गई जो भेजने वालों/विप्रेषकों द्वारा अपने बैंक खाते से भेजे गए पैसे को बैंक में खाता न रखने वाले लोगों को पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करेगी। कार्ड रहित सेवा शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे बैंक खाता धारक बैंक में रखा न रखने वाले लोगों को निर्धारित सीमा के भीतर पैसा अंतरित कर/भेज सकेंगे, इसमें प्राप्तिकर्ता की पहचान के रूप में मोबाईल नंबर और पैसा निकालने के लिए पिन कोड का प्रयोग जरुरी है। यह सेवा कथित संस्था द्वारा प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही शुरू होगी। अनुमोदित प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है

किसी खाता धारक द्वारा गैर खाता धारक को पैसा भेजने की सुविधा इंटरनेट अथवा एटीएम पर उसके डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही संभव होगी। पैसा भेजने वाला व्यक्ति निधि-अंतरण करने के लिए किसी भी प्रतिभागी बैंक के एटीएम में विशेष बटन को ऐक्टिीवेट करके प्राप्तिकर्ता को पैसा भेज सकेगा। इसके लिए, उसे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी :

- प्राप्तिकर्ता/लाभार्थी का मोबाइल नंबर
- उसकी पसंद का 4-अंक वाला सेंडर कोड
- भेजी जाने वाली रकम
- भेजने वाले का मोबइल नंबर

लाभार्थी प्रतिभागी बैंक के किसी भी एटीएम से पूरा पैरा निकला सकता है, बस उसे बैंक से प्राप्त कोड और भेजने वाले से प्राप्त कोड दोनों का इस्तेमाल करना होगा। एटीएम पर लाभर्थी को विशेष बटन को एक्टीवेट करना होगा और निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी :

- उसका स्वयं (प्राप्तकर्ता) का मोबाइल नंबर
- भेजने वाले का कोड (विप्रेषक से फोन पर प्राप्त कोड/एसएमएस)
- लेनदेन पिन (बैंक द्वारा सृजित और एसएमएस द्वारा उसे भेजा गया)
- रकम (बैंक से प्राप्त और एसएमएस द्वारा विप्रेषक से प्राप्त)

लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा होने पर विप्रेषक को उस मूल्य की सफलतापूर्वक सुपुदर्गी का एसएमएस प्राप्त होगा। इस सेवा के लिए भेजने वाले को शुल्क देना होगा। प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए मैक्रो एटीएम (व्यावसाय प्रतिनिधि (बीसी) के पास हैंड हेल्ड डिवाइस) के जरिए भी आहरण किया जा सकता है।

सीटीएस स्थानों पर की गई। बैंकों को सूचित किया गया कि जहां ईसीएस सुविधा उपलब्ध है, वहां उत्तर-दिनांकित चेक लेना बदं करें।

IX.12 ग्राहक सेवा उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे चेक वापसी प्रभार केवल उन्हीं स्थितियों में ग्राहक पर लगाए जाएं जहां उनकी गलती और उनका उत्तरदायित्व हो, अन्यथा ग्राहक पर कोई प्रभार न लगाया जाए। समान अवकाश की व्यवस्था प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 3 ग्रिड-सीटीएस स्थानों पर लागू की गई और ग्रिड में शामिल सभी राज्यों में चेक भुनाने में तेजी आई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना

IX.13 अधिक मात्रा में लेनदेनों और कार्यक्षमता को संभालने के लिए एनईएफटी प्रणाली को उन्नत बनाया गया। ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों से संबंधित निम्नलिखित एनईएफटी प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का पालन करें : वापसी नियमों का पालन, वॉक-इन-ग्राहक को विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना और विलंबित जमा अथवा वापसी की प्रतिपूर्ति का बिना मांगे भुगतान करना।

IX.14 बैंकों को सूचित किया गया कि वे एटीएम लेनदेनों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए त्वरित सुविधा प्रदान करें और साथ ही अलर्ट भेजने के लिए ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ईमेल आइडी को तत्परता से पंजीकृत करें। धोखाधड़ी नियंत्रण उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे सामान्य स्थिति में इस प्रकार के कार्य हेतु अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए एटीएम लेनदेनों की सभी स्क्रीन/अवस्थाओं के लिए स्वतः टाइम-आउट हो जाने की व्यवस्था करें।

IX.15 खाता खोलने के लिए बैंकों में उपलब्ध ई-केवाईसी सुविधा ऐसी गैर-बैंक संस्थाओं को भी प्रदान की जाएं जिन्हें पीपीआई जारी करने की अनुमति है। अप्रैल 2009 में पहली बार जारी किए गए पीपीआई दिशा-निर्देशों में मार्च 2014 में संशोधन और समेकन किया गया। परिचालनगत जोखिम का समाधान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में पीपीआइ जारीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली संस्थाओं हेतु पूंजीगत और निवल मालियत की जरूरत के संबंध में इंट्री पोइंट्स मानदंड़ों को सख्त किया गया और निलंब लेखा (एस्क्रो अकाउंट) में अनुमत नामे और जमा लेनदेनों की सीमा निर्धारित करने के लिए लागू किए गए दिशानिर्देशों को भी सख्त बनाया गया ताकि ग्राहकों की निधियों को सुरक्षित रखा जा सके।

IX.16 कार्ड से भुगतान किए जाने वाले लेनदेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने यूरोपे, मास्टरकार्ड और विज़ा (ईएमवी) चिप और सभी अंतरराष्ट्रीय कार्डों हेतु व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) और बिक्री-केंद्र पटल (पीओएस) पर सभी डेबिट कार्ड लेनदेनों हेतु पिन की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। जहां, इन अपेक्षाओं का पालन कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को करना है, वहीं समान दिशानिर्देश उन बैंकों पर भी लागू हैं जिन्होंने भुगतान कार्ड उद्योग आंकड़े सुरक्षा मानक (पीसीआई-डीएसएस), टर्मिनल लाइन इंक्रिप्शन (टीएलई) और प्रति टर्मिनल यूनीक की/व्युत्पन्न प्रति टर्मिनल यूनीक-की (डीयूकेपीटी) सुरक्षा के अनुपालन के लिए कार्ड स्वीकार वाले इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि यदि वे इन मानदंड़ों का पालन नहीं करते है और ग्राहक के खाते में नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। समय के दौरान कार्ड-नाट-प्रेजंट और कार्ड प्रेजंट संबंधी दोनों प्रकार के लेनदेनों को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त कारकों (एएफए) का इस्तेमाल करके सुदृढ़ बनाया गया है।

IX.17 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार 10 आरआरबी और 19 यूसीबी सहित 86 बैंकों को बैंक बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की गई (बॉक्स IX.2)।

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल)

IX.18 रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रचर (एफएमआइ) के विनियमन और पर्यवेक्षण' के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया, जिसमें एफएमआई को पदनामित करने, इसकी निगरानी और अन्य संबंधित पक्षों के लिए विस्तृत मानदंड़ की जानकारी दी गई है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) द्वारा संयुक्त रूप से जारी वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआइ) को अपनाने के लिए सूचित किया गया। 01 जनवरी 2014 से सीसीआइएल को भारतीय क्षेत्राधिकार में एक अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी) के रूप में घोषित किया गया।

IX.19 वर्ष के दौरान, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को अनेक बातों के लिए अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गयाः i) मुद्रा आप्शन्स में व्यापार के लिए भौतिक विनिमय का पुष्टिकरण बंद करना, ii) ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) आधारित गारंटीकृत निपटान की शुरु आत, iii) यूएसडी/भारतीय रुपया निपटान में भुगतान बनाम भुगतान मॉडल की शुरुआत करने के लिए सैद्धांतिक

बॉक्स IX.2
मोबाइल बैंकिंग से संबंधित तकनीकी समिति

देश में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही मोबाइल सुविधा का लाभ उठाने के लिए और इस माध्यम के जरिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भुगतान लेनदेन करने के एक वहनीय माध्यम प्रदान करने की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन हेतु मोबाइल बैंकिंग पर एक तकनीकी समिति का गठन आइडीआरबीटी के निदेशक श्री बी. संबामूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में प्रस्तुत की।

समिति ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंकों के समक्ष आ रहीं चुनौतियों की पहचान की, जिसमें ग्राहक पंजीकरण, तकनीकी मुद्दे और एसएमएस/असंरचित संपूरक सेवा आंकड़ा (यूएसएसडी)/एप्लीकेशन आधारित मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं। रिपोर्ट में ग्राहकों के पंजीकरण और सत्यापन के लिए मानकीकृत और सरलीकृत प्रक्रिया की आवश्यकता, संसक्तिशील जागरुकता कार्यक्रम और सभी बैंकों में समान एप्लीकेशन प्लेटफार्म जिसे प्रत्येक ग्राहक के हैंडसेट पर स्थापित किया जाए, को अपनाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएमएस और इनक्रिप्शन प्रौद्योगिकी सहित यूएसएसडी के प्रयोग किए जाने पर जोर दिया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों की सरहना की गई है, इन दिशानिर्देशों में अधिकतम सेवा मानदंडों की सीमा निर्धारित करना, बैंकों और अपने एजेंटों को दूरसंचार परिचालकों द्वारा यूएसएसडी सेवाएं प्रदान करने के लिए संव्यवहार लागत की सीमा निर्धारित करना भी शामिल है। समिति ने सिफारिश की है कि ट्राई के विनियमनों का कार्यान्वयन सभी हितधारकों द्वारा शीघ्रता से किया जाए।

अनुमोदन, और iv) सदस्यों के लिए यूएसडी-भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा वायदा व्यापार में संविभाग कम्प्रेशन। वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआइ) के प्रति अनुपालन के लिए सीसीआइएल की निगरानी की जा रही है। पीएफएमआई का सुझाव है कि 'एफएमआइ, सिद्धांतों की आंशिक अथवा पूर्ण स्व-मूल्यांकन अवलोकन आवधिक रूप से करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल कर सकती है।' तदनुसार, सीसीआईएल को सूचित किया गया कि वह 'पीएफएमआइ-प्रकटीकरण ढांचा और मूल्यांकन पद्धति' के स्थान पर स्व-मूल्यांकन करें, इस संबंध में दस्तावेज दिसंबर 2012 में सीपीएसएस-आइओएससीओ द्वारा जारी किया गया था।

IX.20 वर्तमान निगरानी प्रणाली के अनुसार, सीसीआइएल को सूचित किया गया कि वह अपनी उप विधियों, नियमों और विनियमनों की व्यापक समीक्षा करे। सीसीआइएल ने विदेशी मुद्रा वायदा और आइआरएस घटक के संबंध में उप विधियों, नियमों और विनियमनों

बॉक्स IX.3
विदेशी मुद्रा व्यापार संपीड़न (कंप्रेशन)

व्यापार-संपीड़न जोखिम को कम करने की एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक व्यापार को समाप्त/आंशिक रूप से समाप्त करके की प्रकिया के जरिए बाजार में बकाया व्यापार की अनुमानित मात्रा में कटौती की जाती है। व्यापार-संपीड़न जिसमें अपने बकाया व्यापार में काफी कटौती की जाती है, के जरिए सदस्य व्यापार और संबंधित जोखिम के बीच समायोजन करते हैं।

जो सदस्य संविभाग संपीड़न में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें परिभाषित मापदंड़ों के बारे में अपनी इच्छा और स्वीकृत के संबंध में सेवा प्रदाता को बताना होता है। सामान्यतः प्रतिभागतियों को समय के पहले व्यापार समाप्त करने के कारण होने वाले बाजार मूल्य पर लाभ/हानि की अधिकतम सीमा और इन सहन सीमाओं पर आधारित समय से पहले व्यापार समाप्त के लिए पात्र व्यापारों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होता है। इसमें इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए गणतीय अल्गोरिदम का कार्यान्वयन शामिल है। संपीड़न सर्किल्स के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। सामान्यतः अनिवार्य ट्रायल रन के पश्चात ही लाइव सर्किल किया गया और इस पूरे कार्य को करने में 4 से 5 कारोबारी दिन लगे हैं।

इस नई रणनीति से होने वाले लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं - प्रतिपक्ष ऋण जोखिम, परिचालनगत जोखिम, लागत, जोखिम भारित आस्तियां और वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र के आकार में कमी।संविभाग संपीड़न को वैश्विक स्तर पर जोखिम कम करने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में चिह्नित किया गया है। आवधिक संविभाग-संपीड़न से बैंक/वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्रों में दिखने वाली जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजीगत प्रभार समाप्त हो जाएंगे।

रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के आधार पर सीसीआईएल मात्र ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) के लिए व्यापार संपीड़न प्रदान कर रहा है।

अब, सीसीआइएल को सदस्य घटकों के लिए यूएसडी-आइएनआर विदेशी मुद्रा वायदा व्यापार में संविभाग संपीड़न करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। सीसीआईएल इन सभी प्रकार के व्यापार के निपटान के लिए उत्तरदायी होना बना रहेगा वह चाहे संविभाग संपीड़न के जरिए हो अथवा परिपक्ता पर उन व्यापार के निटापन के समय पर हो।

की व्यापक समीक्षा की थी (बॉक्स IX.3)। इसमें किए गए संशोधनों में सीसीआइएल में दिवालियापन पर एक नया अध्याय, उप विधियां जो सीसीआइएल चूक और इस प्रकार की स्थितियों में छोड़ने के लिए सदस्यों के अधिकार को कवर करती हैं, को शामिल किया गया है।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

IX.21 निगरानी ढांचा तीन मापदंड़ों पर आधारित है : निगरानी, मूल्यांकन और परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना। इसका प्रबंधन प्राधिकृत संस्था द्वारा स्व-मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन का निर्धारण और पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण, परोक्ष निगरानी और बाजार आसूचना के जरिए किया जाता है।

भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस)

IX.22 सीपीएसएस प्रणाली भुगतान, समाशोधन, निपटान और अन्य समझौतों की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय स्थिरता और व्यापक अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। यह केंद्रीय बैंक सेवाओं के प्रावधान सहित निगरानी, नीति और परिचालनगत मामलों में केंद्रीय बैंक सहयोग के एक मंच के रूप कार्य करती है। भारत ने इस महत्त्वपूर्ण मंच का सदस्य बना रहना जारी रखा है।

पीएफएमआइ का कार्यान्वयन और निगरानी

IX.23 अप्रैल 2012 में, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) द्वारा 'वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना संबंधी सिद्धांत' जारी किए थे (बॉक्स IX.4)। पीएफएमआइ भुगतानों, समाशोधन, निपटान और दर्ज समझौतों और मोटे तौर पर प्रणालीगत जोखिम को सीमित करने और पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सुरक्षा और दक्षता को बढ़ा सकती है। सीपीएसएस और आइओएससीओ के सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में पीएफएमआई को अपनाएं। सीपीएसएस-आइओएससीओ ने सभी क्षेत्राधिकारों में कार्यान्वयन में अनुरूपता को

बॉक्स IX.4
वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचा

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) को सिस्टम परिचालकों सहित प्रतिभागी संस्थाओं में बहु-स्तरीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका प्रयोग समाशोधन के उद्देश्य, भुगतानों, प्रतिभूतियों, व्युत्पन्नी अथवा अन्य वित्तीय लेनदेनों के निटापन अथवा दर्ज करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः शब्द 'एफएमआइ' का संबधं प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली, केंद्रीय प्रतिभूति जमाकर्ताओं (सीएसडी), प्रतिभूति निपटान प्रणाली (एसएसएस), केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) और ट्रेड रिपॉजिटर्स (टीआर) से है जो वित्तीय लेनदेनों का समाशोधन, निपटान और दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड और सीपीएसएस के सदस्य के रूप में रिज़र्व बैंक पीएफएमआइ को अपनाने और इसका कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमिति एफएमआइ के पर्यवेक्षण और विनियमन संबंधी नीति में एफएमआई को पदनामित करने के मानदंड़, एफएमआई पर पीएफएमआई की व्यवहार्यता, एफएमआइ और अन्य संबंधित पक्षों की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी तक, निगरानी अंतरराष्ट्रीय मानकों यथा नियमानुसार प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के मूल सिद्धांत (सीपीएसआईपीएस), प्रतिभूति निपटान प्रणाली की सिफारिशें (आरएसएसएस) और केंद्रीय प्रतिपक्ष की सिफारिशों (आरसीसीपी) पर आधारित थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपन्न गतिविधियों के समान और जैसा कि 'भारत में भुगतान प्रणाली: दस्तावेज 2012-15' में उल्लेख किया गया है कि रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) के संरक्षण में एफएमआइ के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पीएफएमआइ में निर्धारित मानकों को अपना लिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी एफएमआइ से अपेक्षा है कि वे उन पर लागू पीएफएमआइ जरूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एफएमआइ आरटीजीएस, एसएसएस, सीसीआइएल और तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आर्डर मिलान हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए आरजीटीएस और एसएसएस रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा इनका संचालन किया जाता है।

रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित एफएमआइ सहित एफएमआई का मूल्यांकन दिसंबर 2012 में सीपीएसएस-आईओएससीओ द्वारा प्रकाशित 'पीएफएमआइ-मूल्यांकन पद्धति' दस्तावेज के अनुसार पीएफएमआइ के विपरीत होगी।

एफएमआइ की निगरानी परोक्ष पर्यवेक्षण जिसमें स्व-मूल्यांकन, सूचना की मांग, अलर्ट प्रणाली, नियत्रंण उपाय की बाह्य और अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा और परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन शामिल है, और प्रत्यक्ष निरीक्षण और अन्य उपाय जिसमें गतिविधियों, निगरानी चिंताओं और प्रत्याशा के बारे में चर्चा करने के लिए एफएमआइ के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की आवधिक बैठकें शामिल हैं, के संयोजन के जरिए की गई है।

बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएफएमआई के कार्यान्वयन की निगरानी प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगरानी के कार्यान्वयन के पहले चरण में मूल्यांकन किया कि क्या क्षेत्राधिकारों द्वारा एफएमआइ के लिए 24 सिद्धांतों के कार्यान्वयन और प्राधिकारियों के लिए जिम्मेदारियों के लिए विधान और अन्य नीतियों को अपनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

IX.24 उद्देश्य अंतराल के प्रभाव की प्रासंगिता को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन उपाय और सिद्धांतों के बीच अंतराल की पहचान करना है। स्तर-1 मूल्यांकन रिपोर्ट में, अगस्त 2013 में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों में भारत को पीएफएमआइ सिद्धांतों को अपनाने में '1' और एफएमआइ की जिम्मेदारियों का पालन करने में '4' रेटिंग प्रदान की गई है[2]। परिणामस्वरूप, पीएफएमआइ और एफएमआइ का अंगीकरण करने और व्यवहार्यता को सार्वजनिक करने के लिए रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उपाय किए गए हैं। सर्वेक्षण का दूसरा दौर मई 2014 में प्रकाशित किया गया जिसमें भारत को सिद्धांत के अनुपालन और जिम्मेदारियों दोनों के लिए '4' रेटिंग प्रदान की गई है।

वैध संस्था पहचानकर्ता (एलआईई) और स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू)

IX.25 रिज़र्व बैंक विनियामकीय निगरानी समिति (आरओसी) और इसकी कार्यान्वयन समिति का भी सदस्य है। सीसीआइएल को भारत में वैश्विक स्तर पर उपयुक्त एलईआइ जारी करने के लिए एलओयू के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। एलओयू के रूप में, सीसीआइएल वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली सभी पात्र और इच्छुक वैध संस्थाओं को विशिष्ट पहचानकर्ता कोड जारी करेगा।

सार्क भुगतान परिषद (एसपीसी) की बैठक

IX.26 रिज़र्व बैंक ने 9 दिसंबर 2013 को केरल में एसपीसी की 14वीं बैठक का आयोजन किया। एसपीसी ने सार्क क्षेत्र में भुगतान प्रणाली विकसित करने की एक योजना तैयार की और ध्यान देने के लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की : i) अधिक बड़े मूल्य वाली भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्यान्वयन और सुधार; ii) इलेक्ट्रिानिक खुदरा भुगतान प्रणाली का विकास; iii) भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए जोखिम कम करने संबंधी उपाय; iv) बाजार सहभागियों में प्रतिस्पर्धा/नए सहभागियों की पहुंच को बढ़ावा देना; v) कानूनी और विनियामकीय ढांचे में सुधार; vi) गवर्नेंस संरचना में सुधार; vii) वित्तीय साक्षारता कार्यक्रम की शुरुआत (पहला कार्यक्रम नेपाल में मई 2014 को 15वीं एसपीसी बैठक के बाद आयोजित किया गया था); viii) सीमापार भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार। इसके अतिरिक्त, सार्क ने एक तकनीकी समूह का गठन किया और क्षेत्र में भुगतान प्रणाली के समन्वयन पर एक कन्सेप्ट पेपर तैयार किया जिसमें सुमेलित भुगतान के लिए निम्नलिखित दो क्षेत्रों को शामिल किया गया: i) कार्ड भुगतान: सीमापर लेनदेन को रूट करने के लिए देश के एटीएम की मेन स्वीच से अंतर-कनेक्टिविटी और ii) कार्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए क्षेत्रीय देशों और पीओएस गेटवे के बीच एकीकरण करने के लिए ई-भुगतान गेटवे की कनेक्टिविटी।

बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय पहलें

आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह

IX.27 आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) के अंतर्गत बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) या अन्य सूचना प्रौद्यागिकी प्रणाली से आंकड़ों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के व्यवधान के बिना सीधे रिज़र्व बैंक को स्वचालित रिटर्न भेजे। आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) के कार्यान्वयन को जारी और बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रगति की सतत निगरानी के लिए आंतरिक रिटर्न गवर्नेंस की स्थापना करें।

नई पीढ़ी तत्काल सकल निपटान प्रणाली (एनजी-आरटीजीएस)

IX.28 19 अक्तूबर 2013 को नई तत्काल सकल निपटान प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत 28 मार्च 2014 को रिकार्ड संख्या में 0.48 मिलियन लेनदेनों का निपटान किया गया।

[2] रेटिंग स्तर 1 : अप्रकाशित मसौदा कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 2 : प्रकाशित मसौदा कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 3 : प्रकाशित अंतिम कार्यान्वयन उपाय; रेटिंग स्तर 4 : पूर्णत: लागू प्रकाशित अंतिम कार्यान्वयन उपाय; और रेटिंग स्तर एनए : किसी कार्यान्वयन उपाय की जरूरत नहीं (अर्थात लागू नहीं)।

वैश्विक स्तर पर, यह पहली बार है जब आईएसओ 20022 मैसेज फॉमेट का इस्तेमाल आरटीजीएस मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। यह आरटीजीएस प्रणाली बहुत स्केलेबल है, जिसमें ग्रिडलाक सुविधा प्रणाली और हाईब्रिड निपटान सुविधा, बहु-मुद्रा लेनदेनों को संसाधित करने के लिए भावी मूल्य दिनांकित लेनदेनों और ऑप्शन को स्वीकार करने की सुविधा जैसी अनेक विशेषाएं शामिल हैं। नई आरजीएस प्रणाली प्रतिभागियों को 3 ऐक्सेस ऑप्शन प्रदान करती है: थिक-क्लांइट, वेब-एपीआइ (इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क अथवा अन्य किसी अनुमोदित नेटवर्क के जरिए) और भुगतान ओरिजिनेटर मड्यूल। सहभागी लेनदेनों की मात्रा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लगने वाली लागत के आधार पर प्रणाली में सहभागिता के प्रकार पर स्वयं निर्णय कर सकते हैं। नए आरटीजीएस के कार्यान्वयन से पुरानी आरटीजीएस प्रणाली बंद हो जाएगी और आरटीजीएस प्रणाली विनियमन 2013 को आरटीजीएस (सदस्यता) कारोबार परिचालन दिशानिर्देश, 2004 और आरटीजीएस (सदस्यता) विनियमन, 2004 से बदल दिया गया है।

'भुगतान प्रणाली एप्लीकेन्स में पब्लिक-की-इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) को इनेबल' करने संबंधी रिपोर्ट

IX.29 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणाली एप्लीकेन्स के लिए पब्लिक-की-इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआइ) को इनेबल करने करने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए सितंबर 2013 में एक दल गठित किया। इस दल में बैंकों, आइडीआरबीटी-सत्यापन प्राधिकारी, सत्यापन प्राधिकारी नियंत्रक और रिज़र्व बैंक के विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस दल ने भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से विचार-विमर्श किया। तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2014 को निर्गत की गई।

IX.30 रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सभी बैंकों के इंटरनेट बैंक एप्लीकेशन में पासवर्ड आधारित द्वि-स्तरीय अनुमोदन और अनुमोदन के लिए पीकेआइ आधारित प्रणाली और ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों के लिए लेनदेन सत्यापन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और इनका कार्यान्वयन कई चरणों में किया जाए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों के लिए पीकेआइ इनेबल करने के लिए अपने ग्राहकों को विकल्प प्रदान करें।

रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी

केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आइटीएससी)

IX.31 आईटीएससी का गठन रिज़र्व बैंक को अपनी समग्र आईटी रणनीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन्स और सुरक्षा के बारे में परामर्श देने और आईटी विज़न दस्तावेज 2011-2017 की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया था। आइटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन की जाने वाली पद्धति, उद्यम आर्किचेक्टर, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआइएसओ) की भूमिका को सुदृढ़ करना, सूचना सुरक्षा (आइएस) लेखा-परीक्षा, आइडीआरबीटी की आइटी सहयोगी संस्था, आईएस नीति दिशानिर्देश और रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित आपदा उद्धार (डीआर) ड्रिल की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आइटीएससी की बैठक वर्ष के दौरान दो बार आयोजित की गई।

रिज़र्व बैंक के लिए सूचना सुरक्षा नीति

IX.32 आइटीएससी ने संशोधित सूचना सुरक्षा नीति और संबंधित उप-नीतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीति को प्रभाव में लाने के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश अप्रैल 2014 में निर्गत किए गए।

इलेक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंध प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.33 इलेक्ट्रानिक रूप में व्यवस्थिति ढंग से दस्तावेजों को रखने के उद्देश्य से ईडीएमएस के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। ईडीएमएस का समय-बद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है।

इंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी)

IX.34 रिज़र्व बैंक में ज्ञान साझा करने की पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए संवादमूलक व्यावहारिकता सहित अनेक उन्नत विशेषाताओं के साथ परिष्कृत ईकेपी नवबंर 2013 में शुरू किया गया। यह रिज़र्व बैंक में ज्ञान साझा करने वाले प्रयासों के लिए अधिक जोर देने वाला दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्टाफ द्वारा इसके उपयोग करने में वृद्धि दर्ज की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली को उन्नत करना

IX.35 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उन्नत करने संबंधी कार्य जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा स्थानों पर विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस कमरों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा, बेहतर गुणवत्ता के लिए हाई डेफिनिशन तकनीक, वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा, मांग किए जाने पर वीडियो सुविधा प्रदान की जाएगी, रिज़र्व बैंक में चिह्नित किए गए सभी स्थानों पर शुरू कर दिया गया है।

पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन (पीएसएस)

IX.36 पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन का उद्देश्य रिज़र्व बैंक की सूचना प्रणालियों को बाह्य साइबर संसार की सभी धमकियों/हमलों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना है। इस सॉल्यूशन में राउटर, स्वीचेस, फायरवाल्स और अनाधिकार प्रवेश की पहचान और निवारण प्रणाली शामिल हैं। परियोजना को दो अलग-अलग चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में, स्वीच, राउटर और स्वीच के आटो-फेल-ओवर का कार्यान्वयन जैसे नेटवर्किंग घटकों की खरीद और बदलने का कार्य पूरा किया गया और दूसरे चरण में फायरवाल्स और इन्ट्रूशन निवारण प्रणाली (आइपीएस) से संबंधित परिचालनगत कार्य पूरे किए गएं।

इन्फरमेशन सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (आइएसओसी)

IX.37 रिज़र्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की तत्परता से पता लगाने के लिए एक उन्नत आइएसओसी प्रणाली रिजर्व बैंक में लागू जा रही है। आपूर्ति, स्थापना, कनफिगरिंग, अनुरक्षण और आइएसओसी के परिचालन में रुचि-प्रकटन (एक्प्रेशन आफ इन्टरेस्ट) जारी कर दिया गया है। यह परियोजना दिसंबर 2015 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

मेल मैसेजिंग सॉल्यूशन (एमएमएस)

IX.38 रिज़र्व बैंक के कारपोरेट मेल को प्रयोक्ताओं को बेहतर ऐक्सेस, स्टोरेज और मेल्स को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उन्नत आर्काइवल सॉल्यूशन के जरिए सुदृढ़ बनाया गया। इस आर्काइवल सुविधा के चलते एमएमएस से किसी भी मेल को पुनः प्राप्त करना संभव होगा। इस सॉल्यूशन से जल्दी-जल्दी अंतराल में प्रयोक्ताओं के लिए मेल बॉक्स के आकार को नियमित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। आर्काइवल कानूनी/विनियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मेल को बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमएमएस को उन्नत करने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया गया है और मार्च 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

आंकड़ों के मानकीकरण से संबंधित समिति

IX.39 रिज़र्व बैंक के आइटी विज़न 2011-2017 दस्तावेज में एमआइएस और निर्णय लेने के उद्देश्य से उपयोगी सूचना में इसका संसाधन करने के लिए आंकड़ों की गुणवत्ता और सामयिकता दोनों के महत्त्व पर जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, समान आंकड़े रिपोर्टिंग मानक बहुत जरुरी हैं। आंकड़ों के मानकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो इसके साथ-साथ आंकड़ों की रिर्पोटिंग के क्षेत्र में सिनर्जी और एकरूपता लाएगी।